फा.सं. ए 11018/18/2015-एमएच-II

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(एनसीडी-I अनुभाग)

दिनांक: 25 जुलाई, 2018

नोटिस

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में कार्यालय अधीक्षक के पद हेतु भर्ती नियम (आरआर) में संशोधन संबंधी प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन है। इस संबंध में प्रारूप भर्ती नियम (सलंग्न) तैयार किए गए हैं तथा अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2. संगत पद के भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी इस प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि को उनके विचारार्थ अग्रेषित करने से पूर्व मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जो अधोहस्ताक्षरी को 25/08/2018 तक कमरा सं. 414-ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110108 के पते पर भेज दिया जाए तथा साफ्ट प्रति भी- prem.narian68@nic.inपर भेजा जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि

प्रेम नारायण
Prem Narain

(प्रेम नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23062032

[(भारत के राजपत्र भाग-।।खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली

तारीख : 2018

अधिसूचना

सां.का.नियम.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (वर्ग iii और वर्ग iv पद) भर्ती नियम 1968के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का कार्य किया गया है,अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान,मुंबई में कार्यालय अधीक्षक के पद के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि:-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति, किसी
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से,उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण; आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यालय अधीक्षक	**1*(2018)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह-'ख' अराजपत्रित	वेतन मेट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	अचयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाता है।
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	100%प्रोन्नति द्वारा, संभव न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	1. 10 वर्ष के अनुभव सहित उच्च श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति। 210-380 रु. के ग्रेड वेतन में अन्य उप-कार्यालयों में प्रधान लिपिक 2. ग्रेड में 5 वर्षों के अनुभव सहित निदेशक के वैयक्तिक सहायक (पद के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:- 1एआईआईपीएमआर, मुंबई के अपर निदेशक - अध्यक्ष 2 उप निदेशक (पुनर्वास), एआईआईपीएमआर, मुंबई - सदस्य 3परामर्शी (संज्ञाहरण), एआईआईपीएमआर, मुंबई - सदस्य 4 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अकार्यात्मक चयन ग्रेड, एआईआईपीएमआर, मंबइ - सदस्य	लागू नहीं

[सं. ए. 11018/18/2015-एमएच-II]

[प्रेम नारायण]
अवर सचिव भारत सरकार